डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

बक्साराम बनाम चन्द्राराम वगैराह

त् 53,188 आर.टी. एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 05/2021

ामा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील मधुसूदन चौधरी व मुदई वकील बक्तावरसिंह जाखड़ मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खारिया अनावास के खसरा संख्या 53,168, 177, 227,429, 433,56 जिसके सर्वे रिसर्वे पश्चात नये खसरा संख्या 117, 265, 6, 407, 796, 807 मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से ।का रिपोर्ट(विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 05/12/2025 बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रहेगा। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय ो के भाग रहेगें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी शय की जारी की जाती है कि वादी के बंट में आई हुई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी से दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न किसी अन्य कर से करावे। तहसीलदार पीपाड़ ाजस्व रेकर्ड में आवश्यक कार्यवाही करे ।

................शून्य.............मुवलिक.................शून्य..............बाबत................शून्य.................खर्चा ुकदमें के मय सूद व शरद......................शून्य.................फीसदी सालाना आज की तारीख से ा वसूलयाबी तक.................शून्य................को आदा करें।

सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/04/2026 को जारी की गई।

दस्तखत......... सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी

ओहदा............ पीपाड़ शहर (जोधपुर)

दई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
म्प अरजोदाबा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
म्प वजह सबूत			महनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
स कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
त इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
फर्रिक					
मीजान.....			मीजान..........		

ट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज करना चाहिये।